राजस्थान विधान मंडल का अधिनियम
विधि (विधायी प्रारूपण) 2016 विभाग–5
(गुप–2)
अधिसूचना
जयपुर, अप्रेल 26, 2016

संख्या पं.2(24) विधि/2/2016 राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अप्रेल 2016 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान विदयालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016
(2016 का अधिनियम संख्यांक 14)

राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अप्रेल 2016 को प्राप्त हुई। राजस्थान राज्य में विद्याालयों दवारा फीस के संग्रहण का विनियमन करने और इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपलब्ध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सडसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:–

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.– (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विदयालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''शैक्षणिक वर्ष'' से इस रूप में विहित बारह मास की कोई कालावधि अभिप्रेत है, और विदयालयों के भिन्न–भिन्न वर्गों के लिए भिन्न–भिन्न शैक्षणिक वर्ष विहित किये जा सकेंगे;

(ख) ''सहायता प्राप्त'' विदयालय से राज्य सरकार से सहायता के रूप में कोई भी धन राशि प्राप्त करने वाला विद्यालय अभिप्रेत है;

(ग) ''उप–निदेशक'' से शिक्षा उप–निदेशक या प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अधीन कार्यरत राज्य सरकार दवारा इस रूप में पदाभिहित कोई भी समतुल्य अधिकारी, या राज्य सरकार के किसी अन्य निदेशालय का उप–निदेशक, जिसे राज्य में किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों के पर्यवेक्षण का कार्य न्यस्त किया गया है, अभिप्रेत है;

(घ) ''निदेशक'' से शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार दवारा इस रूप में पदाभिहित कोई भी समतुल्य अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक), शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), या राज्य सरकार के किसी अन्य निदेशालय का निदेशक, जिसे राज्य में किसी भी प्रकार की

शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों के पर्यवेक्षण का कार्य न्यस्त किया गया है, सम्मिलित है;
(ड) ''जिला शिक्षा अधिकारी'' से जिला शिक्षा अधिकारी या राज्य सरकार दवारा इस रूप में पदाभिहित कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) और जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक)
सम्मिलित है;
(च) 'खंडीय फीस विनियामक समिति' से धारा 7 के अधीन गठित खंडीय फीस विनियामक समिति अभिप्रेत है;
(छ) ''प्रारम्भिक शिक्षा'' से पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है;
(ज) ''फीस'' से किसी विद्यालय द्वावा किसी भी कक्षा या अध्ययन के पाठयक्रम में किसी छात्र के प्रवेश के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संगृहीत कोई भी रकम, जिसे चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है;
(झ) ''सरकार'' से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
(ञ) ''सरकारी विदयालय'' से सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या अनुरक्षित कोई विद्यालय अभिप्रेत है;
(ट) ''स्थानीय प्राधिकरण'' से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) के अधीन गठित कोई नगरपालिका या राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के अधीन गठित कोई पंचायती राज संस्था अभिप्रेत है;
(ठ) किसी विदयालय के संबंध में, ''प्रबंध'' से राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 (1992 का अधिनियम सं. 19) की धारा 9 के अधीन गठित प्रबंध समिति अभिप्रेत है और इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का निकाय, समिति या कोई भी अन्य शासी निकाय, जिसे चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, जिसमें किसी विद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध या प्रशासन करने की शक्ति निहित है, सम्मिलित है;
(ड)''अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था'' से सरकार दवारा अनुमोदित संस्था, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) के अधीन ऐसा करने का अधिकार रखने वाले अल्पसंख्यक –वर्ग दवारा स्थापित और प्रशासित है, अभिप्रेत है;
(ढ) ''माता–पिता–अध्यापक संगम'' से धारा 4 के अधीन गठित माता–पिता–अध्यापक संगम अभिप्रेत है;
(ण) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों दवारा विहित अभिप्रेत है;
(त) ''निजी विद्यालय'' से ऐसा कोई विद्यालय अभिप्रेत है जो किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय दवारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित हो, और जो राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 (1992 का अधिनियम सं. 19) की धारा 2 के खण्ड (थ) के अर्थान्तर्गत कोई मान्यताप्राप्त संस्था हो,
किन्तु इसमें–
(1)कोई सहायता प्राप्त विद्यालय ; और
(2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण दवारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित कोई विद्यालय, सम्मिलित नहीं है;
(थ) ''राजस्व खंड'' से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 15 के अधीन गठित कोई खंड अभिप्रेत है;

(द) ''पुनरीक्षण समिति'' से धारा 10 के अधीन गठित पुनरीक्षण समिति अभिप्रेत है;
(ध) ''नियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;
(न) ''विद्यालय'' से सरकार दवारा मान्यता प्राप्त और किसी भी प्रबंध दवारा प्रबंधित और किसी भारतीय या विदेशी पाठयक्रम या बोर्ड से संबदध, प्रारम्भिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वालाविद्यालय, चाहे सहायत ाप्राप्त, आशिक रू सहायता प्राप्त और सहायता न पाने वाला हो, जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था दवारा चलाये जाने वाला विद्यालय सम्मिलित है, किन्तु इसमें केवल धार्मिक अनुदेश प्रदान करने वाला कोई विदयालय सम्मिलित नहीं है, अभिप्रेत हैं,
(प) ''विद्यालय स्तरीय फीस समिति'' से धारा 4 की उप–धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन गठित विदयालय स्तरीय फीस समिति अभिप्रेत है;
(फ) ''माध्यमिक शिक्षा'' से नवीं कक्षा से दसवीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है; और
(ब) ''वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा''से ग्यारहवीं कक्षा से बारहरवीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है।

अध्याय 2

अधिक फीस के संग्रहण का प्रतिषेध और फीस का अवधारण

3. अधिक फीस के संग्रहण का प्रतिषेध.– कोई विद्यालय स्वयं या इसके निमित इस अधिनियम के अधीन नियत या अनुमोदित फीस से अधिक कोई फीस संगृहीत नहीं करेगा।

4 माता–पिता–अध्यापक संगम.– (1) (क) प्रत्येक निजी विद्यालय माता–पिता– अध्यापक संगम का गठन करेगा।

(ख) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के आरम्भ से तीस दिवस के भीतर–भीतर विद्यालय के मुखिया दूवारा माता–पिता–अध्यापक संगम गठित किया जायेगा। विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक और विद्यालय के प्रत्येक छात्र का माता–पिता, माता–पिता–अध्यापक संगम का सदस्य होगा और ऐसे संगम के प्रत्येक सदस्य से नगरीय क्षेत्र की दशा में पचास रुपये और ग्रामीण क्षेत्र की दशा में बीस रुपये वार्षिक रकम संगृहीत की जायेगी।

(ग) माता–पिता–अध्यापक संगम का गठन हो जाने पर, विद्यालय स्तरीय फीस समिति गठित करने के लिए, इच्छक माता–पिता की लाटरी, उनका लाट निकालकर, आयोजित की जायेगी और ऐसी लाटरी के एक सप्ताह पूर्व माता–पिता–अध्यापक संगम के सदस्य को नोटिस दिया जायेगा।

(2) (क) विद्यालय स्तरीय फीस समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,–

(1)	अध्यक्ष	–	ऐसे प्रबंध दूवारा नाम निर्दिष्ट निजी विद्यालय के प्रबंध का प्रतिनिधि;
(2)	सचिव	–	निजी विद्यालय का प्रधानाचार्य;
(3)	सदस्य	–	निजी विदयालय के प्रबंध द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन अध्यापक;
(4)	सदस्य	–	माता–पिता–अध्यापक संगम से पांच माता–पिता।

(ख) विद्यालय स्तरीय फीस समिति के सदस्यों की सूची, विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन से पन्द्रह दिवस की कालावधि के भीतर–भीतर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और उसकी प्रति तत्काल संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को अग्रेषित की जायेगी।

(ग) विदयालय स्तरीय फीस समिति की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष के लिए होगी और कोई सदस्य माता–पिता विदयालय स्तरीय फीस समिति के सदस्य के रूप में उसकी अंतिम अवधि के अवसान से आगामी तीन वर्ष की कालावधि के भीतर–भीतर लाटरी दवारा लाट निकाले जाने का पात्र नहीं होगा।

(घ) विद्यालय स्तरीय फीस समिति तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी। विदयालय स्तरीय फीस समिति की बैठक करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाये।

(ङ) माता–पिता–अध्यापक संगम की साधारण बैठक प्रति वर्ष 15 अगस्त से पुर्व कम से कम एक बार होगी। माता–पिता–अध्यापक संगम की बैठक करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाये। माता–पिता–अध्यापक संगम ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन और ऐसे कुत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसको समन्दिष्ट किये जायें और जो विहित किये जायें।

5. सरकारी विदूयालयों और सहायताप्राप्त विदूयालयों में फीस का नियतन.– सरकार सरकारी विद्यालयों और सहायता प्राप्त विद्यालयों में फीस ऐसी रीति से नियत करेगी जो सरकार दवारा अवधारित की जाये।

6. निजी विदयालयों में फीस का विनियमन.–

(1) निजी विदयालयों का प्रबंध ऐसे विदयालयों में फीस प्रस्तावित करने के लिए सक्षम होगा।

(2) विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन पर, प्रबंध, आगामी शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ से कम से कम छह मास पूर्व सुसंगत अभिलेख सहित प्रस्तावित फीस के ब्यौरे विदयालय स्तरीय फीस समिति को इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। अनुमोदन देते समय विद्यालय स्तरीय फीस समिति को नये सिरे से फीस की रकम विनिश्चित करने का प्राधिकार होगा।

(3) धारा 8 के अधीन अधिकथित समस्त सुसंगत कारकों पर विचार करने के पश्चात, विद्यालय स्तरीय फीस समिति उप–धारा (2) के अधीन प्रस्तावित फीस के ब्यौरे और अभिलेख की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर–भीतर फीस का अनुमोदन करेगी और इस प्रकार अनुमोदित फीस के ब्यौरे तत्काल प्रबंध को लिखित में संसूचित करेगी। विद्यालय स्तरीय फीस समिति दवारा इस प्रकार अनुमोदित फीस के ब्यौरे हिंदी, अंग्रेजी और विद्यालय के अपने–अपने माध्यम में नोटिस बोई पर प्रदर्शित किये जायेंगे, और यदि ऐसे विदयालय की स्वयं की वेबसाइट है, तो ये उस पर प्रदर्शित किये जायेंगे और ये तीन शैक्षणिक वर्ष के लिए आबद्धकर होंगे।

(4) विद्यालय स्तरीय फीस समिति भिन्न–भिन्न शीर्ष उपदर्शित करेगी जिनके अधीन फीस उद्वहीत की जायेगी।

(5) यदि विदयालय स्तरीय फीस समिति, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर फीस विनिश्चित करने में असफल रहती है तो प्रबंध, विद्यालय स्तरीय फीस समिति को, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, सूचना के अधीन, मामले को तत्काल खंडीय फीस विनियामक समिति को उसके विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा। निर्देष के लंबित रहने के दौरान, खंडीय फीस विनियामक समिति के अंतिम विनिश्चय होने तक प्रबंध को पुर्व शैक्षणिक वर्ष की फीस में दस प्रतिशत वृद्धि करके, ऐसी फीस के संग्रहण की स्वतंत्रता होगी।

(6) खंडीय फीस विनियामक समिति, विरोधी पक्षकार को सुने जाने का अवसर दिये जाने के

पश्चात, अपील या निर्देश को यथासंभव इसके फाइल किये जाने की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर–भीतर विनिश्चित करेगी।

(7) अपील या निर्देश में खंडीय फीस विनियामक समिति के विनिश्चय से व्यथित प्रबंध या विदयालय स्तरीय फीस समिति ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर पुनरीक्षण समिति के समक्ष, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अपील कर सकेगी।

7. खंडीय फीस विनियामक समिति का गठन (1) सरकार, राजपत्र में अधिसचना दवारा, प्रत्येक राजस्व खंड के लिए खंडीय फीस विनियामक समिति गठित करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थातः–

(क)	खंड आयुक्त	अध्यक्ष;
(ख)	उप–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य;
(ग)	निदेशक, सस्कृत शिक्षा का नामनिर्देशिति	सदस्य;
(घ)	राजस्व खंड मख्यालय पर स्थित, जिला कोष का कोषाधिकारी	सदस्य;
(ड)	उप–निद्शक. प्रारम्भिक शिक्षा	पदेन सदस्य–सचिव;
(च)	निजी विद्यालयों के दो प्रतिनिधि जो खंड आयुक्त दवारा नामनिर्दिष्ट किये जायें	सदस्य;
(छ)	माता–पिता के दो प्रतिनिधि जो खंड आयुक्त दवारा नामनिर्टिष्ट किये जायें	सदस्य;

2 (क) निजी विद्यालयों और माता–पिता के प्रतिनिधियों की पदावधि उनके नामनिर्टेशन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए होगी और किसी भी कारण से उससे पर्व रिक्ति होने की दशा में, पदावधि की शेष कालावधि के लिए ऐसी रिक्त भररी जायेगी।

(ख) निजी विद्यालयों और माता–पिता के प्रतिनिधि पुनर्नियक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ग) निजी विदयालयों और माता–पिता के प्रतिनिधि खंड आयुक्त को लिखित में संबोधित करते हए पद त्याग सकेंगे और ऐसे त्यागपत्र के स्वीकृत होने पर उसका पद रिक्त हो जायेगा और रिक्ति की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर–भीतर भरा जायेगा।

(घ) निजी विद्यालयों और माता–पिता के किसी प्रतिनिधि को, यदि वह ऐसा कार्य करता है जो खंड आयुक्त की राय में खंडीय फीस विनियामक समिति के सदस्य के संबंध में अशोभनीय है, हटाया जा सकेगा;

परन्तु निजी विद्यालयों या माता–पिता के किसी प्रतिनिधि को सने जाने का अवसर दिये बिना खंडीय फीस विनियामक समिति से नहीं हटाया जायेगा।

(ड) निजी विद्यालयों और माता–पिता के प्रतिनिधियों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

8.फीस के अवधारण के कारक.– किसी विद्यालय दुवारा उदगृहणीय फीस का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित कारक ध्यान में रखे जायेंगे, अर्थातः–

(क) विद्यालय की अवस्थिति;

(ख) गुणात्मक शिक्षा के लिए छात्रों को उपलब्ध करवायी गयी अवसंरचना, उपलब्ध करायी गयी

और विद्यालय के प्रॉस्पेक्टस या वेबसाइट में यथा उल्लिखित सुविधाएं;
(ग) विदयालय के शिक्षा मानदंड, जो राज्य सरकार विहित करे;
(घ) प्रशासन और रख–रखाव पर व्यय;
(ड) प्रबंध दवारा, पूर्त कार्य के रूप में अनिवासी भारतीयों से प्राप्त आधिक्य निधि और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए विदयालयों को फीस माफ करने के लिए या विभिन्न सरकारी स्कीमों के अधीन अन्य मदों के लिए, सरकार द्वारा अभिदाय;
(च) मानदंडों के अन्सार अ्हित अध्यापन और गैर–अध्यापन कर्मचारिवृन्द और उनके वेतन घटक;
(छ) वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए युक्तियुक्त रकम;
(ज) विदयालय की कुल आय में से छात्रों पर उपगत व्यय;
(झ) शिक्षा के विकास और विदयालय के विस्तार के प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त अधिशेष राजस्व; और
(ञ) कोई भी अन्य कारक जो विहित किया जाये।

9. खंडीय फीस विनियामक समिति की शक्तियां और कृत्य.–

(1) खंडीय फीस विनियामक समिति की शक्तियां और कृत्य, विद्यालय प्रबंध दवारा छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस के संबंध में, प्रबंध और माता–पिता–अध्यापक संगम के बीच विवाद का न्यायनिर्णयन करना है।

(2) खंडीय फीस विनियामक समिति, माध्यमिक विदयालय के प्रधानाध्यापक से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को, किसी निजी विद्यालय या ऐसे विद्यालय के प्रबंध से संबंधित किन्हीं भी परिसरों में प्रवेश करने के लिए, प्राधिकृत कर सकेगी, यदि खंडीय फीस विनियामक समिति यह आवश्यक पाये, और ऐसे विदयालय या प्रबंध से संबंधित किन्हीं अभिलेखों, लेखाओं, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों की तलाशी, निरीक्षण और अभिग्रहण कर सकेगी जहां तक ऐसे अभिलेख, लेखे, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज, उक्त समिति के समक्ष विवादयक को विनिश्चित करने के लिए आवश्यक और सुसंगत है। तलाशियों और अभिग्रहणों के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों पर लागू होंगे।

(3) खंडीय फीस विनियामक समिति, अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी, और उसे इस अधिनियम के अधीन कोई भी जांच करने के प्रयोजन के लिए किसी वाद का विचारण करते समय, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थातः–

1. किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
2. किसी भी दस्तावेज का प्रकरटीकरण और पेश किया जानाय
3. शपथ–पत्रों पर साक्ष्य की प्राप्ति;
4. साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(4) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में खंडीय फीस विनियामक समिति द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा। खंडीय फीस विनियामक समिति का आदेश उसके समक्ष कार्यवाही के पक्षकारों पर दो शैक्षणिक वर्ष के लिए बाध्यकारी होगा। इसको किसी भी सिविल न्यायालय में, सिवाय

अपील के, इस अधिनियम के अधीन गठित पुनरीक्षण समिते के समक्ष, प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

(5) विवाद का समाधान करते समय, खंडीय फीस विनियामक समिति, प्रबंध दवारा अवधारित फीस के लिए कोई अन्तरिम स्थगन मंजुर नहीं करेगी। अपील या निर्देश के विनिश्चय पर खंडीय फीस विनियामक समिति, संबंधित छात्र को अधिक फीस के प्रतिदाय के लिए समुचित आदेश पारित कर सकेगी। यदि प्रबंध ऐसे छात्र को अधिक फीस का प्रतिदाय करने में विफल रहता है तो खंडीय फीस विनियामक समिति, प्रबंध से ऐसी अधिक फीस भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए अग्रसर होगी और उसे ऐसे छत्र को संदत्त करेगी।

(6) खंडीय फीस विनियामक समिति, किसी निजी विद्यालय दुवारा उद्ग्रहणीय फीस अवधारित किये जाने पर अपने विनिश्चय से संबंधित पक्षकारों को संसूचित करेगी।

(7) खंडीय फीस विनियामक समिति के समक्ष अपील करने वाला प्रत्येक निजी विदयालय अपील में के विनिश्चय की प्रति अपने नोटिस बोर्ड पर लगायेगा और यदि ऐसे विदयालय की वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट पर डालेगा।

(8) खंडीय फीस विनियामक समिति भिन्न–भिन्न शीर्ष उपदर्शित करेगी जिनके अधीन फीस उदगृहीत की जायेगी।

(9) खंडीय फीस विनियामक समिति दवारा पारित किये गये आदेश निजी विदयालरयों पर तीन शैक्षणिक वर्ष के लिए आबद्धकर होंगे। उक्त कालावधि की समाप्ति पर, निजी विदयालयों को, इस अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया अपनाते हुए, अपने फीस ढांचे में परिवर्तन का प्रस्ताव करने की स्वतंत्रता होगी।

10. पुनरीक्षण समिति का गठन.– (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य में एक पुनरीक्षण समिति गठित करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थातः–

(क)	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का प्रभारी	अध्यक्ष;सचिव
(ख)	माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती	सदस्य;
(ग)	आयुक्त निटेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान	सदस्य;
(घ)	आयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राजस्थान	सदस्य;
(ड)	आयुक्त निदेशक, संस्कत शिक्षा विभाग राजस्थान	सदस्य;
(च)	निजी विद्यालयों के दो प्रतिनिधि जो राज्य सरकार दवारा नामनिर्दिष्ट किये जायें	सदस्य;
(छ)	माता–पिता के दो प्रतिनिधि जो राज्य सरकार दवारा नामनिर्दिष्ट किये जायें	सदस्य;
(ज)	शिक्षा विभाग का लेखाधिकारी	सदस्य;
(झ)	वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रप–5) विभाग	पदेन सदस्य सचिव

स्पष्टीकरण.– इस उप–धारा के प्रयोजन के लिए ''प्रभारी सचिव'' से विभाग का प्रभारी सचिव अभिप्रेत है और इसमें अतिरिक्त मख्य सचिव या प्रमख सचिव, जब वह विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(2) (क) निजी विद्यालयों और माता–पिता के प्रतिनिधियों की पटावधि उनके नामनिर्देशन

की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए होगी और किसी भी कारण से उससे पर्व रिक्ति होने की दशा में, पदावधि की शेष कालावधि के लिए ऐसी रिक्त भरी जायेगी।

(ख) निजी विदयालयों और माता–पिता के प्रतिनिधि पुनर्नियक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ग) निजी विद्यालयों और माता–पिता के प्रतिनिधि सरकार को लिखित में संबोधित करते हुए पद त्याग सकेंगे और ऐसे त्यागपत्र के स्वीकृत होने पर उसका पद रिक्त हो जायेगा और रिक्ति की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर–भीतर भरा जायेगा।

(घ) निजी विद्यालयों और माता–पिता के किसी प्रतिनिधि को, यदि वह कोई ऐसा कार्य करता है, जो राज्य सरकार की राय में, पुनरीक्षण समिति के सदस्य के संबंध में अशोभनीय है, हटाया जा सकेगा;

परन्त निजी विद्यालयों या माता–पिता के किसी प्रतिनिधि को सने जाने का अवसर दिये बिना पनरीक्षण समिति से नहीं हटाया जायेगा।

(ड) निजी विद्यालयों और माता–पिता के प्रतिनिधियों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

11. खंडीय फीस विनियामक समिति के कतिपय उपबंधों का पुनरीक्षण समिति पर लागु होना.–
(1) धारा 6 की उप–धारा (6) और धारा 9 की उप–धारा (2) से (8) तक के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, पुनरीक्षण समिति पर लागू होंगे।

(2) पुनरीक्षण समिति का विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा और तीन शैक्षणिक वर्ष के लिए पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। उक्त कालावधि की समाप्ति पर, धारा 6 में अधिकथित प्रक्रिया अपनाते हुए निजी विदयालय अपने फीस ढांचे में परिवर्तन प्रस्तावित करने के लिए स्वतंत्र है।

12. सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण– खंडीय फीस विनियामक समिति या पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य या इसके किसी अधिकारी के विरुदध, उसके दवारा किये गये आदेश के क्रियान्वयन के लिए या किसी नियम या तदरधीन किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

अध्याय 3

लेखाओं का विनियमन और अभिलेखों का संधारण

13. लेखाओं का विनियमन.– सरकार, निजी विदयालयों दवारा लेखाओं के संधारण को ऐसी रीति से विनियमित कर सकेगी, जो विहित की जाये।

14. अभिलेखों का संधारण.– निजी विद्यालय अभिलेखों का संधारण ऐसी रीति करेंगे जो विहित की जाये।

अध्याय 4

अपराध और शास्तियां

15. अपराध और शास्तियां.–

(1) जो कोई भी, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह दोषसिद्धि पर,–

(क) प्रथम अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु

जो दो लाख पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या इस अधिनियम के अधीन यथा अवधारित फीस के आधिक्य में ली गयी रकम का दोगुना, जो भी अधिक हो, से दण्डनीय होगा।

(ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराधों के लिए, ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा या इस अधिनियम के अधीन यथा अवधारित फीस के आधिक्य में ली गयी रकम का दोगुना, जो भी अधिक हो, से दण्डनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन दोषसिद्ध व्यक्ति अधिक फीस उस छात्र को, जिससे यह इस अधिनियम के उल्लंघन में संगृहीत की गयी थी, प्रतिदत करेगा।

(3) ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये
नियमों के उपबंधों का बार–बार उल्लंघन करता है, किसी भी प्रबंध या, यथास्थिति, विदयालय में पदाधिकारी बनने के लिए अपात्र होगा।

16. प्रबंध दवारा अपराध.–

(1) जहां इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन कोई अपराध किसी प्रबंध दवारा किया जाता है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस प्रबंध के कारबार के संचालन के लिए उस प्रबंध का प्रभारी था, और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह प्रबंध भी उस अपराध के दोषी समझे जायैंगे और तदनुसार अपने विरूद्व कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के भागी होंगे।

परन्तु इस उप–धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को निवारित करने के लिए सम्यक् तत्परता बरती हैं।

(2) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन कोई अपराध किसी प्रबंध दवारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध प्रबंध के किसी पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया है तो ऐसा संबंधित पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक भी उस पराध का दोषी समझा जायेगा और तदन्सार अपने विस्दूध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।

17. अपराधों का संज्ञान.– कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संजन, ऐसे अधिकारी के, जो उप–निदेशक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो, जिसे सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, द्वारा फाइल किये गये किसी परिवाद के सिवाय नहीं करेगा।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

18. निदेश जारी करने की शक्ति.– राज्य सरकार, किसी विदयालय को इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधो से संगत ऐसे साधारण या विशेष निदेश जारी कर सकेगी

जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए या उसमें अंतर्विष्ट या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या आदेशों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों और विद्यालय प्रबंध ऐसे प्रत्येक निदेश काअनुपालन करेगा।

19. नियम बनाने की शक्ति.–

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्युन की किसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे जाते हैं या उसके ठीक अगले सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधान–मण्डल का सदन किसी ऐसे नियम में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

20. अधिनियम का किसी अन्य अधिनियम के अतिरिक्त होना और अल्पीकरण में नहीं होना.– इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उसके अल्पीकरण में नहीं होंगे।

21. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति :–

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, अवसर आने पर, राजपत्र में प्रकाशित आदेश दवारा, कोई भी ऐसी बात कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

22. निरसन और व्यावृत्ति.– राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 14) इसके दवारा निरसित किया जाता है।

मनोज कुमार व्यास,
प्रमुख शासन सचिव